राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांकः एफ.वी.29(2)(1) स्थापन/ब–1/पार्ट–III/1448 दिनांक 04.05.2018

ड्राईविंग टेस्ट हेतु दिशा निर्देश

विभाग द्वारा वाहन चालकों की भर्ती हेतु ड्राईविंग टेस्ट दिनांक 14.05.2018 से 09.06.2018 तक निर्धारित कर सूची जारी की जा चुकी है। ड्राईविंग टेस्ट हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यार्थियों के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. अभ्यर्थी विभागीय वेब साइट पर उपलबध सूची मे अंकित क्रम संख्या ई–मित्र कियोस्क पर बता कर अपना नाम /पिता का नाम/ पता जांचने के उपरान्त, ड्राईविंग टेस्ट हेतु निर्धारित शुल्क 1200 रूपये + जी.एस.टी (जो कि वर्तमान मे रूपये 216/–) कुल राशि रूपये 1416/– ई–मित्र मे जमा कराकर रसीद प्राप्त करेगें तथा उक्त मूल रसीद की प्रति टेस्ट स्थल पर आवश्यक रूप से जमा करायेगें।
2. टेस्ट स्थल पर ड्राईविंग लाईसेंस की मूल प्रति मय स्वप्रमाणित फोटो प्रति साथ लेकर आवेगें।
3. अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक एवं समय पर टेस्ट स्थल पर उपस्थित होगें। जो कि विभागीय वेबसाइट पर अंकित है।
4. टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी द्वारा होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान (वाहन, ट्रेक या सेन्सर पोल की क्षति) का वहन अभ्यर्थी द्वारा किया जावेगा।
5. ड्राईविंग टेस्ट एच.एम.वी. (भारी मोटर वाहन) पर किया जावेगा।

(डॉ. महेश कटारा)
अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)